UPBS120005632021

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP03335

मूलवाद सं० 444/2021

सोमई चौधरी बनाम लालजी उर्फ बाले

29.09.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6ग2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि गाटा सं० 160 रकबा 0.546 हे० प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र A B C D E F G H I J के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 9ग1 द्वारा नकल खतौनी कागज सं० 10ग1, नकल खसरा कागज सं० 11ग1, छायाप्रति राजस्व मानचित्र कागज सं० 13ग1 दाखिल किया गया है। खसरा एवं खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि गाटा 160 रकबा 0.546 हे० वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित आराजी को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, अन्यथा वादी के दावे का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

आदेश

प्रतिवादी को नोटिस जारी हो, तब तक प्रतिवादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा मना किया जाता है कि वह विवादित भूमि गाटा सं० 160 रकबा 0.546 हे० (राजस्व मानचित्र के अनुसार जहां भी स्थित हो), में न तो कोई निर्माण करे तथा न ही वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में कोई हस्तक्षेप करें। वादी आदेश 39 नियम 3 सी०पी०सी० का अनुपालन अविलम्ब करे। अनुपालन न करने की स्थिति में उक्त आदेश निष्प्रभावी होगा। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक 13.10.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।